


सं. 05/04/2024 – रा. भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी –॥ भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 29 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के श्री हरीश चन्द्र केरापा, उप निदेशक ने मुख्य श्रमायुक्त (के.) कार्यालय के दिनांक 08 जुलाई, 2024 के पत्रांक सं. प्रशा.1/30 (03)/2021 के अनुसरण में दिनांक 12.07.2024 (पूर्वाह्न) को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया।

2. श्री हरीश चन्द्र केरापा, उप निदेशक को तत्काल प्रभाव से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद के एवज में तैनात किया जाता है। राजभाषा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दौरान श्री हरीश चन्द्र केरापा, उप निदेशक को दिनांक 12 जुलाई, 2024 पूर्वाह्न से 29 जुलाई, 2024 अपराह्न तक की अवधि के दौरान अनिवार्य प्रतीक्षा (Compulsory Waiting) में रखा गया। अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि के वेतन का भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक (सेवा)

सेवा में

1. अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
2. उप मुख्य श्रमायुक्त (के.) कार्यालय, मुख्य श्रमायुक्त (के.) कार्यालय, श्रमेव जयते भवन, जी - 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075 को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि श्री हरीश चन्द्र केरापा, उप निदेशक की सेवापंजी, एलपीसी इत्यादि दस्तावेज अवर सचिव (प्रशासन/ स्थापना), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को सीधे ही भिजवा दिए जाएं।
3. श्री हरीश चन्द्र केरापा, उप निदेशक, राजभाषा विभाग, एन डी सी सी – ॥ भवन, नई दिल्ली।
4. तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया इस कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
5. गार्ड फाईल।